राजस्थान सरकार
रोज़गार सेवा निदेशालय

क्रमांकः प. 1 (4)समन्वय/कौ.मा./09/ जयपुर, दिनांकः

अभिरूचि की अभिव्यक्ति (Expression of Interest)

राजस्थान राज्य मे ंस्नातक बेरोजगार आशार्थियो ंको कौशल विकास प्रशिक्षण से लाभान्वित करने हेतु "अक्षत कौशल योजना–2009" दिनांक 1–10–2009 से लागू की गई है। निजी क्षेत्रों की ऐसी प्रशिक्षणदाता संस्थाओं से प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं जो योजनान्तर्गत बेरोज़गार आशार्थियों को कौशल विकास प्रशिक्षण देने में सक्षम एवं इच्छुक हों। प्रशिक्षणदाता संस्था का चयन निम्न निर्धारित मानदण्डों के अनुसार किया जायेगाः–

1. ऐसी संस्थाओं के प्रशिक्षण कार्यक्रम मान्य होने चाहिये जो किसी वैधानिक द्वष्टि से सक्षम सरकारी विभाग/संस्था हों
2. प्रशिक्षणदाता संस्था किसी वैधानिक सरकारी विभाग/संस्था में पंजीकृत हो।
3. प्रशिक्षणदाता संस्था को न्यूनतम पाँच वर्ष का अनुभव हो।
4. प्रशिक्षणदाता संस्था का प्रशिक्षण कार्य में वार्षिक टर्न ओवर न्यूनतम रूपये एक करोड़ हो।
5. संस्था के न्यूनतम पॉच वर्ष के खाते पंजीकृत चार्टेड अकाउटेंन्ट के द्वारा आडिटेड हो।
6. प्रशिक्षणदाता संस्था के राज्य के प्रत्येक जिले में न्यूनतम एक स्वयं का प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित हो।
7. प्रशिक्षणदाता संस्थान राजस्थान सरकार के तकनीकी शिक्षा/सूचना प्राद्योगिकी विभाग द्वारा अनुमोदित प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करेगा।
8. प्रशिक्षणदाता संस्थान को संबंधित सर्किल के आयकर अधिकारी से आयकर चुकती प्रमाण पत्र (Income Clearance Certificate) संलग्न करना होगा।

उपरोक्त मानदण्ड़ों के आधार पर मान्यता हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाली संस्थाओं के प्रस्तावों का परीक्षण/ मूल्यांकन एक राज्य स्तरीय समिति के द्वारा किया जायेगा जिसके आधार पर सफल प्रशिक्षणदाता संस्थान को योजनान्तर्गत कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु अधिकृत किया जायेगा। अधिकृत संस्थानों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण शुल्क का पुर्नभरण किया जायेगा। योजना का विवरण विभाग की वेब–साईट www.rajrojgar.nic.in पर देखा जा सकता है।

जो इच्छुक प्रशिक्षणदाता संस्थान उपरोक्त मानदण्डों को पूरा करते हों वे अपने प्रस्ताव निदेशक, रोज़गार सेवा निदेशालय, दरबार स्कूल परिसर, गोपीनाथ मार्ग, जयपुर को विज्ञापन की तिथि से 15 दिवस में आवेदन करें।